

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 19/09/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर  
अपर पुलिस महानिदेशक,  
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 18.09.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

## **01. थाना सादात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 174/2025 धारा 191(2),190,115(2),352,351(3),105 बीएनएस में वांछित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को उ0नि0 हरिहर प्रसाद मिश्र मय हमराह तथा उ0नि0 अनिरुद्ध कुमार द्विवेदी मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 174/2025 धारा 191(2),190,115(2),352,351(3),105 बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.शालू उर्फ वाहिद पुत्र वसीम उर्फ पुल्लू निवासी समोगर थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष 2. दानिश पुत्र अनीश निवासी ग्राम समोगर थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर विशुनपुर टडवा पुल के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। तथा अभियुक्त शालू उर्फ वाहिद के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा (लाठी) की बरामदगी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## **गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व आपराधिक इतिहास :-**

- 1.शालू उर्फ वाहिद पुत्र वसीम उर्फ पुल्लू निवासी समोगर थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष मु0अ0सं0 174/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(3)/105 बीएनएस थाना सादात गाजीपुर
- 02- दानिश पुत्र अनीश निवासी ग्राम समोगर थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष
- 1.मु0अ0सं0 174/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(3)/105 बीएनएस थाना सादात गाजीपुर
- 2.मु0अ0सं0 152/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना सादात गाजीपुर
- 3.मु0अ0सं0 33/2025 धारा 115(2)/351(3) बीएनएस थाना सादात गाजीपुर

## **बरामदगी-**

घटना में प्रयुक्त डण्डा (लाठी) ।

**02- थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ददरी घाट पर जिउतिया व्रत के दौरान महिलाओं के गले की चैन/मंगलसूत्र चोरी करने वाली 03 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

**01 अदद पीली धातु की चैन व 01 अदद पीली धातु की मंगलसूत्र बरामद किया गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को उ0नि0 रोहित कुमार द्विवेदी चौकी प्रभारी विशेश्वरगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर मय हमराह के साथ सन्दिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्तागण 1. सीमा देवी पत्नी चन्दन निवासी ताजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 39 वर्ष 2. विमला पत्नी अजय निवासी चकिया थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 45 वर्ष 3. आंचल पुत्री संजय निवासी रजवापुर माफी माहुल बाजार थाना पवई जिला आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

जिनके पास से दिनांक 14.09.2024 को ददरी घाट से जिउतिया व्रत के दौरान चोरी गये चैन/मंगलसूत्र के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 712/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी के 01 अदद पीली धातु की चैन व 01 अदद पीली धातु की मंगलसूत्र बरामद किया गया। गिरफ्तारसुदा अभियुक्तागणों की के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तागण का नाम पता-**

1. सीमा देवी पत्नी चन्दन निवासी ताजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 39 वर्ष
2. विमला पत्नी अजय निवासी चकिया थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 45 वर्ष
3. आंचल पुत्री संजय निवासी रजवापुर माफी माहुल बाजार थाना पवई जिला आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

**बरामदगी –**

1. 01 अदद पीली धातु की चैन
2. 01 अदद पीली धातु की मंगलसूत्र

**अभियुक्तागण का आपराधिक इतिहास –**

मु0अ0सं0 712/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस बीएनएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

**03- थाना बहरियाबाद पुलिस टीम द्वारा फौ0मु0नं0 612/11 धारा 323, 504 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा 02 नफर वारण्टी 1. शिवकुमार पुत्र रामपलट नि0ग्राम हाजीपुर थाना बहरियाबाद गाजीपुर 2. पुन्नू उर्फ विजय सोनकर पुत्र रामपलट नि0ग्राम हाजीपुर थाना बहरियाबाद गाजीपुर को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम हाजीपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्तागण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तागण का नाम पता –**

1. शिवकुमार पुत्र रामपलट नि0ग्राम हाजीपुर थाना बहरियाबाद गाजीपुर
2. पुन्नू उर्फ विजय सोनकर पुत्र रामपलट नि0ग्राम हाजीपुर थाना बहरियाबाद गाजीपुर

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –**

फौ0मु0नं0 612/11 धारा 323, 504 भादवि

**04- महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अलग हुए 04 परिवारों की कराई गई विदाई ।**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 18.09.2025 को महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केन्द्र गाजीपुर में पति-पत्नी के विवाद से सम्बन्धित कुल 17 प्रकरण को सुना गया। जिसमें काफी समय से विवादित चल रहे 04 प्रकरण में दोनों पक्षों को बैठाकर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भुलाकर विदाई करायी गयी । 05 प्रकरण में विधिक कार्यवाही का सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई एवं 02 पारिवारिक विवाद में कुशलता प्रकट होने के बाद पत्रावली बंद कर दी गई । शेष पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई। इन सभी प्रकरण के निस्तारण में काउंसलर कमरुद्दीन, विक्रमादित्य मिश्र , महिला सहायता प्रकोष्ठ प्रभारी शशि सिंह , महिला आरक्षी रागिनी चौबे, महिला आरक्षी संध्या, महिला आरक्षी अभिलाषा, महिला आरक्षी सोनाली, आरक्षी शिव शंकर यादव, होमगार्ड शैलेश सिंह आदि लोग प्रमुख थे।

**05- थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 266/2025 धारा- 103(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**अभियुक्त कि निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 ईंट बरामद ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को थानाध्यक्ष बृजेश कुमार गुप्ता मय हमराह , उ0नि0 राजकुमार शुक्ल, उ0नि0 शिवपूजन मय हमराह के देखभाल क्षेत्र मामूर था कि मुखबिर खास की सूचना पर स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 266/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में नामित अभियुक्त गुड्डू उर्फ संदीप प्रजापति पुत्र चन्द्रदेव प्रजापति निवासी ग्राम सिरगिथा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को रामपुर बन्तरा ओवर ब्रिज के नीचे से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त कि निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट को बरामद किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

गुड्डू उर्फ संदीप प्रजापति पुत्र चन्द्रदेव प्रजापति निवासी ग्राम सिरगिथा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष ।

**बरामदगी-**

एक अदद ईंट

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 266/2025 धारा- 103(1) बी0एन0एस0 थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

**6. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा धारा 304/149 भादवि के मुकदमे के 07 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 35,000/-रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।**

दिनांक 18.09.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना बरेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 304/10 धारा 147, 149, 304, 308, 506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में मा0

न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1.शैलेन्द्र राम पुत्र सुरेश राम 2.राजेन्द्र राम पुत्र सुरेश राम 3.सुरेश राम पुत्र श्रीराम 4. नान्हू राम पुत्र रामवृक्ष 5.अच्छेलाल पुत्र रामवृक्ष 6. अमरनाथ पुत्र राजेन्द्र राम 7.सत्येन्द्र राम पुत्र सुरेश राम समस्त निवासीगण होरिलपुर थाना बरेसर जनपद गाजीपुर को मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध करते हुए धारा 504/149 भादवि में प्रत्येक को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 - 5,000/-रू का अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में प्रत्येक को 03 - 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 147 भादवि में प्रत्येक को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक  
गाजीपुर